

रिपोर्ट पटवारी हत्या/आ.प.एस.आर.आर.0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 मधोसूय जी. आर. द्वारा पत्र दस्तऐवज आधार कार्ड, परिवार वाशिंग कार्ड के
 आधार पर सीताराम कुं सोनिया के बजाय सीताराम कुं सोनाराम किया जाना
 उचित है -

[Handwritten Signature]
 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी मधोसूय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्षितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है /उचित की जाती है।

[Handwritten Signature]
 उचित है

[Handwritten Signature]
 14/12/21
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुंसुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 14-12-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	जोद्यपुरा	2075-78	62	सीताराम कुं सोनिया	सीताराम कुं सोनाराम


नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

[Handwritten Signature]
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 14-12-2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/2235

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को वारंते पालनाार्थ।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को 
[Handwritten Signature]
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी